भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1633

सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

1633. श्री अबु हसीम खान चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2014 से जनवरी, 2020 तक असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की राज्य-वार संख्या और प्रतिशत कितना है जिन्हें मंत्रलय द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया है;
(ख) क्या सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण के उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने असंगठित श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो कवरेज आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उसे पूरा करने की राज्य-वार समय-सीमा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र द्वारा श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में (i) जीवन एवं निःशक्तता कवर, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और निःशक्तता

---जारी–2/-

कवर प्रदान किया जाता है। श्रम और रोज़गार मंत्रलाय जून 2017 से असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और निःशक्तता कवरेज प्रदान करने हेतु समेकित प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है। समेकित पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 330/- रूपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर मृत्यु उपरांत 2 लाख रूपये का कवरेज देती है। समेकित पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 12/- रूपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटनावश मृत्यु और निःशक्तता होने पर 2 लाख रूपये का कवरेज देती है। इन समेकित योजनाओं का भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। वार्षिक प्रीमियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर साझा किया जाता है। नए नामांकन केवल समेकित पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई के अंतर्गत किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या
2017-18	2,83,78,851
2018-19	3,42,18,315
2019-20 (आदिनांक)	2,45,61,910

मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का आरंभ किया है, जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रूपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रूपये या उससे कम है और ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य नहीं हैं, इस योजना से जुड़ सकता है। इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50 % मासिक अंशदान देय होता है एवं समान समरूप अंशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक नामांकनों की कुल संख्या 42,06,439 है।

सरकार ने राष्ट्रीय असंगठित कामगार डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के सृजन हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह डेटाबेस आधार के साथ संबद्ध होगा और आधार के माध्यम से अभिगम्य होगा। यह डेटाबेस केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पहुँचाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

संगठित और असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा नौ केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के संगत प्रावधानों को आमेलित, सरलीकृत और तर्कसंगत बनाकर सामाजिक सुरक्षा 2019 संबंधी एक प्रारूप संहिता तैयार की गई है।

*****